न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर (म.प्र.)

- 1746-I/12

1. रामभाग्य गुप्ता तनय श्री शिवनाथ प्रसाद गुप्ता उम्र– 55 वर्ष, पेशा– खेती,
2. रोहिणी प्रसाद तनय श्री शिवनाथ प्रसाद गुप्ता उम्र– 50 वर्ष, पेशा– खेती,

सभी निवासी ग्राम– कोतर खुर्द, तह0– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.)

———————— निगरानीकर्ता/आवेदकगण

बनाम

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. राजेश गुप्ता तनय बैजनाथ बानी उम्र– 30 वर्ष, पेशा– खेती,
2. मुस0 शान्ती पत्नी बलिराम बानी उम्र– 40 वर्ष, पेशा– खेती,
3. लक्ष्मी पुत्री बलिराम बानी उम्र– 15 वर्ष, नाबालिग द्वारा बली संरक्षिका मां मुस0 शान्ती पत्नी बलिराम बानी
4. विजय कुमार तनय बलिराम बानी उम्र– 8 वर्ष, नाबालिग द्वारा बली संरक्षिका मां मुस0 शान्ती पत्नी बलिराम बानी
5. नन्दलाल तनय श्री शिवनाथ बानी उम्र– 70 वर्ष, पेशा– खेती,
6. वंशगोपाल गुप्ता तनय बद्री प्रसाद बानी उम्र– 55 वर्ष, पेशा– खेती,
7. रामकंठ गुप्ता तनय बद्री प्रसाद बानी उम्र– 50 वर्ष, पेशा– खेती,
8. रामसुमिरन बानी तनय सीतामणि बानी उम्र– 55 वर्ष, पेशा– खेती,
9. शत्रुधन बानी तनय सीतामणि बानी उम्र– 35 वर्ष, पेशा– खेती,
10. मुस0 रामरती पत्नी भैयालाल बानी उम्र– 70 वर्ष, पेशा– खेती,
11. चूड़ामणि बानी तनय भैयालाल बानी उम्र– 40 वर्ष, पेशा– खेती,
12. चन्द्रप्रताप तनय भैयालाल बानी उम्र– 38 वर्ष, पेशा– खेती,
13. राजबहादुर तनय भैयालाल बानी उम्र– 35 वर्ष, पेशा– खेती,
14. बाबूलाल तनय जगजीत बानी उम्र– 75 वर्ष, पेशा– खेती,
15. रामलाल तनय बाबूलाल बानी उम्र– 40 वर्ष, पेशा– खेती,
16. इन्द्रबहादुर तनय बाबूलाल बानी उम्र– 35 वर्ष, पेशा– खेती,
17. संगमलाल तनय बाबूलाल बानी उम्र– 30 वर्ष, पेशा– खेती,
18. मुस0 सविता बानी पत्नी बलिराम बानी उम्र– 60 वर्ष, पेशा– गृहकार्य,

सभी निवासी ग्राम– कोतर खुर्द, तह0– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.)

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास के राजस्व प्रकरण क्रमांक–189/अपील/11–12 में पारित आदेश दिनांक–30.04.12 से उद्भूत।

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा– 50 म0प्र0 भू– राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निम्न पुनरीक्षण पेश है:–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश विधि प्रक्रिया व सहज न्याय सिद्धान्त के विपरीत है।

2. यह कि आवेदक/निगरानीकर्तागण एवं अनावेदक/उत्तरवादी क्रमांक–5 ने विचारण न्यायालय में धारा– 178 म0प्र0 भू– राजस्व संहिता के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें विचारण न्यायालय ने प्रकरण क्रमांक– 109/अ–27/10–11 में पंजीबद्ध कर अनावेदकगण को तलब कर सम्पूर्ण साक्ष्य सुनवाई पश्चात् दिनांक–12.01.12 को बटवारा आदेश पारित कर दिया गया है। उक्त विचारण न्यायालय में उत्तरवादी/अनावेदक क्रमांक– 1 ने न तो सहभूस्वामी था और न ही पक्षकार के रूप में संयोजित ही था और ना ही किसी प्रकार की कोई आपत्ति एतराज आदि ही प्रस्तुत किया था।

3. यह कि उक्त बटवारा के विरूद्ध उत्तरवादी क्रमांक– 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत किया है। अपीलाण्ट राजेश गुप्ता को विधि प्रक्रिया के विपरीत पक्षकार बनाकर अपील पेश की गई है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने बिना प्रकरण का सम्यक रूप से अवलोकन किये प्रारम्भिक आदेश पारित कर दिया गया है जो ~~[illegible]~~ निरस्तगी योग्य है।

4. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपील के साथ संलग्न विचारण न्यायालय के आदेश की सत्यापित कॉपी में उत्तरवादी क्रमांक– 1 राजेश गुप्ता न तो पक्षकार के रूप में संयोजित था और ना ही वह सहभूस्वामी था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपील प्रकरण का अवलोकन किये बिना प्रारम्भिक आदेश पारित कर कानूनी भूल की है, जो काबिल निरस्तगी है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1746—एक/2012 जिला सीधी

रामभरत आदि विरूद्ध राजेश आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18—2—2019	आवेदक की ओर से श्री विनोद भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास जिला सीधी के प्रकरण कमांक 189/अपील/2011—12 में पारित आदेश दिनांक 30—4—2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 15—4—2019 को कलेक्टर जिला सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 18/02/2019	